न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या–214 / 2026
रानीगंज थाना कांड संख्या–186 / 2023

पिंकी देवी.....आवेदिका
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

08-04-2026 अभिरक्षाधीन आवेदिका / अभियुक्ता पिंकी देवी की ओर से रानीगंज थाना कांड संख्या 186 / 2023, अंतर्गत धारा 302 भा0द0वि0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदिका इस वाद में दिनांक 22.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री बिपिन कुमार यादव एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक गिरानंद ऋषिदेव के अनुसार यह है कि दिनांक 06. 05.2023 को समय करीब 17:00 बजे संध्या में वह अपने पूरे परिवार के साथ घर में थे, तो उसका पड़ोसी पिंकी देवी उसके दरवाजे पर गाली–गलौज कर रही थी, क्योंकि पिंकी देवी के दरवाजे पर लगा फूल किसी ने तोड़ दिया था। इसी क्रम में सूचक की पत्नी समतोलिया देवी ने गाली देने से मना की तो पिंकी देवी उसे फाईट से पंजरा में मारा, जिससे वह गिर गयी। उसके बाद सूचक देखा तो उसकी पत्नी समतोलिया देवी का मृत्यु हो चुका था। सूचक का दावा है कि उसकी पत्नी की मृत्यु पिंकी देवी के द्वारा फाईट–मुक्का से पंजरा में मारने से ही हुआ है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका निर्दोष है और कोई घ ाटना कारित नहीं किया है। आवेदिका के द्वारा ए0बी0पी0 नं0–1311 / 2023 एवं क्रिमिनल रिविजन नं0–63614 / 2023 माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसे खारिज किया जा चुका है, इसके अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। अभियुक्ता को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। आवेदिका के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदिका को पारिवारिक विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। मृतका के शरीर पर

किसी प्रकार का कोई जख्म नहीं पाया गया। आवेदिका दिनांक 22.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका पिंकी देवी पर मृतका के सिने में फाईट–मुक्का से मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान में सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किये हैं। यद्यपि कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कोई निश्चित कारण दर्शित नहीं किया गया है, किंतु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु का कारण छाती पर फाईट–मुक्का से मारने को बताया गया है। आवेदिका दिनांक 22.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्ता है। हत्या एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदिका का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।